न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करौली

पीठासीन अधिकारी :– राजेन्द्र कुमार गोयल (आर.ए.एस)

अपील मुकदमा नं0 ..../2017 ता.रजू. 30.03.2017

रामकटोरी पुत्री नथुआ पत्नि स्व0 कदमीलाल जाति मीना निवासी रतियापुरा तहसील मासलपुर जिला करौली (राज0) .... अपीलान्ट

ब/ना म

ग्राम पंचायत रतियापुरा तहसील मासलपुर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत रतियापुरा तहसील मासलपुर जिला करौली (राज0) .... रेस्पोडेट

अपील वनाराजी निर्णय दिनांक 20.06.2015 ग्राम पंचायत रतियापुरा जिसकी रूह से नामान्तकरण संख्या 603 ग्राम रतियापुरा तहसील मासलपुर अस्वीकार कर खारिज किया गया।

उपस्थिति :– 1 :– श्री श्याम सुन्दर शर्मा एडवोकेट–अपीलान्ट की ओर से

2 :– रेस्पोडेन्ट स्वयं उप0

निर्णय

दिनांक :–26.09.2017

अपील अपीलान्ट का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि निर्णय दिनांक 20.06.2015 न्यायालय रेस्पोडेन्ट बावत नामान्तकरण संख्या 603 खिलाफ कानून रूहेदाद मिसल होने से निरस्त किये जाने योग्य है। निर्णय दिनांक 20.06.2015 पारित करने से पूर्व अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत रतियापुरा द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का कोई नोटिस व अवसर नहीं दिया गया है व विरासत नामान्तकरण की कार्यवाही को अमरल में लाकर नामान्तकरण को

वह अविवाहित निसंतान ही फौत हो गया। मृतक भरोसी का अपीलान्ट के अलावा अन्य कोई जीवित वारिस हीं नहीं है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय रेस्पोडेन्ट द्वारा वगैर किसी जांच के वगैर किसी कारण चुनावी रंजिश से विरासत नामान्तकरण विधि विरूद्ध तरीके से खारिज किया गया है। निर्णय दिनांक 20.06.2015 प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अपीलान्ट व मृतक भरोसी खास भाई बहिन है और एक ही मां की संताने है। मृतक भरोसी का अपीलान्ट के अलावा अन्य कोई वैध वारिस भी नहीं है। पटवारी हल्का व गिरदावर ने अपीलान्ट के भाई भरोसी की मृत्यू दिनांक 26.04.2015 को होने के बाद निष्पक्ष जांच कर नामान्तकरण कार्यवाही अमल में लाई गई और जांच कर सजरा भी नामान्तकरण में दर्ज किया गया। पटवारी व गिरदावर द्वारा जांच कर सही अंकन करने के बावजूद भी जेर अपील नामान्तकरण संख्या 603 दिनांक 20.06.2015 वक्त तस्दीक रेस्पोडेन्ट द्वारा वगैर किसी कारण दर्ज किये अस्वीकार कर खारिज किया गया है जो विधि विरूद्ध है और अपास्त किया जाकर पुनः सुनवाई हेतु नामान्तकरण रिमाण्ड किये जाने योग्य है। अपीलान्ट को नामान्तकरण संख्या 603 की जानकारी पटवारी हल्का से मृतक की खातेदारी भूमि की जानकारी करने पर दिनांक 02.03.2017 को पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण दिनांक 20.06.2015 को खारिज होने की कहने पर व पटवारी हल्का से नकल नामान्तकरण प्राप्त करने पर हुई है। दिनांक 02.03.2017 से पूर्व अपीलान्ट को उक्त निर्णय की कोई जानकारी पूर्व से नहीं रही है। दिनांक 20.06.2015 से दिनांक 02.03. 2017 तक के समय को जानकारी के अभाव में क्षमा करने की प्रार्थना की गई

अपीलान्ट स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 20.06.2015 बावत नामान्तकरण संख्या 603 ग्राम रतियापुरा तहसील मासलपुर अधिनस्थ न्यायालय निरस्त किया जाकर पत्रावली तहसीलदार मासलपुर को रिमाण्ड किया जाकर अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिया जाकर पुनः निर्णय पारित करने के आदेश पारित करें।

उक्त अपील पेश होने पर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया रेस्पोडेन्ट ने ग्राम पंचायत रतियापुरा में न्याय आपके द्वारा अभियान में अपीलान्ट को नहीं जानना व मृतक भरोसी का 20–25 वर्ष गांव छोडकर चले जाने बावत तथ्य अंकित किया है। उसके उपरान्त रेस्पोडेन्ट उपस्थित नहीं है।

हमने अपीलांट व रेस्पोडेन्ट के कथनों के व नामान्तकरण की सत्यता व मृतक के वारिसान की जानकारी हेतु तहसीलदार मासलपुर को पत्र क्रमांक / राजस्व /2017/628 दिनांक 02.08.2017 को पत्र जारी किया गया जिसके सम्बन्ध में तहसीलदार मासलपुर द्वारा मृतक के वारिसान की जानकारी अपने पत्र क्रमांक/एल.आर./2017/134 दिनांक 14.08.2017 द्वारा दी गई है एवं अपीलांट द्वारा मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र भी दिनांक 04.06. 2015 को जारी किया गया प्रस्तुत किया है जिसमें मृतक भरोसी की मृत्यू दिनांक 26.04.2015 को होना दर्ज है।

बहस अभिभाषक अपीलान्ट सुनी गई उन्होंने अपील मे दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट ग्रामीण क्षेत्र की बिना पढ़ी लिखी काश्तकार पेशा महिला है। कानूनी जानकारी नहीं है। अपीलान्ट के अलावा अन्य कोई वारिस मृतक भरोसी का जीवित नहीं है। मृतक अविवाहित व

भरोसी से पूर्व ही फौत हो चुकी है। मृतक भरोसी व अपीलान्ट के अलावा मृतक के पिता नथुआ के कोई और संतान भी नहीं है परन्तु सरपंच ग्राम पंचायत रतियापुरा में चुनावी रंजिश के कारण वगैर कोई कारण अपने निर्णय में दर्ज किये पटवारी व गिरदावर द्वारा जांच कर सजरे का सही अंकन करने के बाद वगैर किसी टीका टिप्पणी के विधि के सिद्धान्तों के प्रतिकूल नामान्तकरण निरस्त किया है। यदि मृतक भरोसी का अपीलान्ट के अलावा अन्य कोई जीवित वारिस होता तो सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा स्थानीय निवासी व निजी जानकारीनुसार अवश्य आवश्यक टिप्पणी अपने निर्णय में की जाती सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा न्याय आपके द्वारा अभियान में दुर्भावनापूर्ण तरीके से अपने पत्र में अपीलान्ट व मृतक व उसके परिवार को 20–25 वर्ष पूर्व गांव छोडकर चले जाना अंकित किया है। सरपंच ग्राम पंचायत की चुनावी रंजिश तहसीलदार मासलपुर द्वारा मृतक के वारिसान की गई जांच दिनांक 14.08.2017 एवं तहसीलदार के पत्र के साथ तहसीलदार द्वारा जारी पत्र पटवारी हल्का रतियापुरा व रतियापुरा ग्राम पंचायत पटवारी द्वारा की गई जांच में आम जनता द्वारा अपना निष्पक्ष रूप से अपीलान्ट को मृतक का वारिस होना कथित किया है जिस पर ग्रामवासियान के हस्ताक्षर हैं इस प्रकार अपीलान्ट का मृतक का एक मात्र वारिस होना पूर्णरूपेण साबित है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर तहसीलदार मासलपुर को अपीलांट के नाम विरासत नामान्तकरण किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक के तर्कों को सुना एवं ध्यानपूर्वक पत्रावली का अवलोकन किया गया व पत्रावली पर उपलब्ध नामान्तकरण का व जांच रिपोर्ट तहसीलदार मासलपुर दिनांक 14.08.2017 व उसके साथ आम जनता द्वारा की गई पुष्टि जांच रिपोर्ट पटवारी व मृत्यू प्रमाण पत्र भरोसी पुत्र नथुआ का

पूर्व होना स्पष्ट रूप से पटवारी हल्का द्वारा जांच कर दर्ज किया गया है। पटवारी हल्का द्वारा किये गये सजरे के अंकन को गिरदावर द्वारा सही होना अंकित किया है व दिनांक 14.08.2017 को तहसीलदार मासलपुर द्वारा की गई मृतक के वारिसों की जांच में भी अपीलान्ट को मृतक का एकमात्र वारिस होना अंकित किया है। रेस्पोडेन्ट सरपंच ग्राम पंचायत रतियापुरा द्वारा वगैर किसी टिप्पणी के नामान्तकरण दुर्भावना से खारिज किया गया है। हम अपीलान्ट अभिभाषक के तर्कों से सहमत है। नामान्तकरण संख्या 603 दिनांक 20.06.2015 ग्राम पंचायत रतियापुरा तहसील मासलपुर को खारिज किया जाता है अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहसीलदार तहसील मासलपुर को यह आदेश दिया जाता है कि वह मृतक भरोसी के स्थान पर अपीलान्ट रामकटोरी पुत्री नथुआ पत्नि स्व0 कदमीलाल जाति मीना निवासी रतियापुरा तहसील मासलपुर जिला करौली के नाम विरासत नामान्तकरण तस्दीक कर राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में मृतक भरोसी के स्थान पर अपीलान्ट के नाम के इन्द्राज किये जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 26.09.2017 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, करौली
(राजेन्द्र कुमार गोयल,)